साथ ही खसरा नंबर 235 रकबा 3.65 हैक्टेयर में से रकबा 0.08 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता के स्थान पर गै.मु.रास्ते का रकबा बढ़ाकर 0.0992 हैक्टेयर किया जाकर दक्षिणी मांठ पर रास्ते की तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। शेष निर्णय यथावत रहेगा। इसी संशोधन अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

आदेश आज दिनांक 07.01.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

खसरा के बिपते उत्तर की तरफ के खसरा नंबर 235 में मौके पर चल रहा है तथा खसरा नंबर 237 जो गै.मु पायतन सरकारी भूमि है में से रास्ता एक जगह स्थाई रूपसे नही चल रहा है। गै.मु पायतन होने से सुविधानुसार लोग अलग-अलग जगह से आते जाते रहते है। नक्शे में खसरा नंबर 237 में से गुजरने वाला रास्ता ग्राम खिन्दारा के नक्शे में कटाणी रास्ते से मिलान किया गया है। अतः उक्त रास्ता प्रार्थीया के खेत खसरा नंबर 238 में से नहीं गुजरता है। उक्त रास्ता खसरा नंबर 235 रकबा 3.57 हैक्टेयर की दक्षिणी मांठ पर चलता है जिसका नाप रास्ते की भूमि का 0.0192 हैक्टेयर बनता है। उक्त संशोधन किया जाना उचित है।

उक्त प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 235 के खातेदारों के हित प्रभावित होने के कारण इन्हे सुना जाना आवश्यक समझते हुए खसरा नंबर 235 के खातेदारान कालूराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी करतासर, लाछूदेवी पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी गेमलियावास एवं शांतिदेवी पत्नी भंवरराम जाति जाट निवासी गेमलियावास को जरिये नोटिस सूचित किया गया एवं अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने हेतु तलब किया गया। उक्त तीनों ही खातेदारान के नोटिस स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुए है परन्तु उक्त तीनों ही खातेदारान नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं आये तथा ना ही अपना कोई उजर एतराज पेश किया है।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया एवं अप्रार्थी तहसीलदार डेगाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का कथन है कि रास्ता उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 238 में से नहीं गुजरकर सम्पूर्ण रास्ता खसरा नंबर 235 में से गुजरता है जिससे पूर्व में दिनांक 25.01.2017 को पारित आदेश का पुनरावलोकन किया जाकर संशोधित आदेश पारित किये जाने तथा उसकी खातेदारी पूर्ववत बहाल की जावे। अप्रार्थी तहसीलदार डेगाना ने अपने जवाब में भी प्रार्थीया के कथनों को स्वीकार किया है एवं सम्पूर्ण रास्ता खसरा नंबर 235 में से ही गुजरना बताया है। खसरा नंबर 235 के खातेदारान ने भी बावजूद सूचना उपस्थित होकर कोई एतराज पेश नहीं किया है जिससे उनकी भी स्वीकारोक्ति माना जा सकता है। इससे यह साबित होता है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2017 उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना बनाम निर्मला कंवर व अन्य में दिनांक 25.01.2017 को पारित निर्णय में त्रुटि रही है जिसे संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47(1) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2017 उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना बनाम निर्मला कंवर व अन्य में दिनांक 25.01.2017 को पारित आदेश में संशोधन किया जाकर खसरा नंबर 238 रकबा 1.65 हैक्टेयर में से घोषित किए गये गै.मु.रास्ता रकबा 0.0192 हैक्टेयर जिसके नये खसरा नंबर 297/238 डाले गये है उसे विलोपित किया जाता है तथा खसरा नंबर 238 के राजस्व रेकर्ड को पूर्वानुसार रकबा 1.65 हैक्टेयर करते हुए तरमीम विलोपित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

भूमि कालुराम के बंट में से उपयोग में ली जा रही है। हाल ही में श्री नेमाराम पटवारी हल्का मोगास ने जानबूझकर बदनियतिपूर्वक श्रीमान् के न्यायालय में तहसीलदार डेगाना की मार्फत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2017 उनवान राजस्थान सरकार बनाम निर्मला कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के पैरा नं. 1 में अंकित तीनों खसरान का प्रस्तुत किया तथा क्र.सं. 2 पर अंकित मेरी खातेदारी भूमि में से 0.0192 हैक्टेयर भूमि कम कर रास्ते के रूप में दर्ज कर दी गई जबकि मेरी भूमि में से न तो पूर्व में प्रचलित रास्ता पहले कभी रहा था तथा न हीं मौके पर आज गुजरता है। एकमात्र प्रार्थीया की सीमा के सहारे सहारे रास्ता गुजरने मात्र से ही पटवारी ने बदनियतिपूर्वक मेरी खातेदारी में 0.0192 हैक्टेयर रास्ता काटने का प्रस्ताव प्रेषित किया था। माननीय न्यायालय ने राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2017 उनवान राजस्थान सरकार बनाम निर्मला कंवर निर्णय दिनांक 25.01.2017 में मुझ प्रार्थीया को माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी नहीं किए है तथा न ही पटवारी, भू.अ.निरीक्षक से गहराई से जांच करवाई है। न ही तहसीलदार महोदय की अनुशंषा टिप्पणी अंकित है। मात्र पटवारी/भू.अ. निरीक्षक रिपोर्ट को अग्रेषित कर दिया गया। जबकि राजस्व रेकर्ड में किसी भी तरह के परिवर्तन या बदलाव के लिए खातेदार को सुना जाना आवश्यक है। इस प्रकार मेरे को विधिवत सुनकर रास्ता दर्ज नहीं किया है। हाल ही में तहसीलदार डेगाना का रिकार्ड ऑनलाईन होने पर मेरे खेत के दो टुकडे होने एवं माननीय न्यायालय से दिनांक 17.05.2019 को उक्त निर्णय की प्रति प्राप्त करने पर मुझे जानकारी हुई। पटवारी हल्का ने खसरा नंबर 237 गै.मु.पायतन में भी रास्ता मौके के वास्तविक प्रचलित स्थान पर नहीं दर्शाकर अपनी मनस्थिति से कटान का प्रस्ताव किया है जिसके लिए जनहित में अलग से कार्यवाही प्रस्तुत की जा रही है। निवेदन है कि प्रार्थीया के खेत का रेकार्ड पूर्व की भांति खसरा नंबर 238 रकबा 1.65 हैक्टेयर दर्ज होना आवश्यक है तथा मेरे खेत के उत्तरी तरफ पड़ौसी के खातेदारी में से 0.08 हैक्टेयर पूर्व में काटा गया रास्ता व मेरी खातेदारी में काटा गया रकबा 0.0192 हैक्टेयर कुल 0.0992 हैक्टेयर भूमि रास्ते में दर्ज की जाना आवश्यक है। चूंकि पूर्व में प्रचलित रास्ता इसी खसरा में था। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी पूर्वानुसार दर्ज की जाने के आदेश फरमावे एवं सम्पूर्ण रास्ते का कटान रकबा 0.0992 हैक्टेयर खसरा नंबर 235 में से कम की जावे तथा मेरे खसरा में की गई तरमीम विलोपित कर मेरी खातेदारी पूर्वानुसार दर्ज की जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार डेगाना से जवाब/रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी तहसीलदार डेगाना ने रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मोगास के खसरा नंबर 235, 237, 238 में से गुजर रहे रास्ते की मौके पर पटवारी हल्का मोगास के पास उपलब्ध नक्शा सीट से नाप कर जांच की गई। खसरा नंबर 238 का नाप करने से पाया कि खसरा नंबर 297/238 रकबा 0.0192 हैक्टेयर दर्शाया गया गै.मु. रास्ता मौके पर खसरा नंबर 238 में नहीं चल रहा है। उक्त रास्ता इस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 43/2019

प्रार्थी – निर्मला कंवर पुत्री गिरवरसिंह जाति राव निवासी मोगास तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी – राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना जिला नागौर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47(1) सी.पी.सी.

वकील-प्रार्थी: श्री जीवाराम रायल

दिनांक 07.01.2022

–: आदेश :–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2017 उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना बनाम निर्मला कंवर पुत्री गिरवर सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2017 अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में राजस्व ग्राम मोगास के खसरा नंबर 237 रकबा 1.88 हैक्टेयर में से रकबा 0.1920 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 रकबा 1.65 हैक्टेयर में से रकबा 0.0192 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 235 रकबा 3.65 हैक्टेयर में से रकबा 0.08 हैक्टैयर भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये गये। प्रार्थीया के नाम से राजस्व ग्राम मोगास की सरहद में खसरा नंबर 238 रकबा 1.65 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है। उक्त खसरा की खातेदारी आज दिनांक को भी प्रार्थीया के नाम दर्ज है। प्रार्थीया के खेत खसरा नंबर 238 के (नजरी नक्शा अनुसार) पश्चिम में खसरा नंबर 237 रकबा 1.88 हैक्टेयर गै.मु. पायतन एवं उत्तर में खसरा नंबर 235 रकबा 3.65 हैक्टेयर कालुराम पुत्र श्रीराम 1/2, लाछू देवी पत्नी रामनिवास 1/4, शांति देवी पत्नी भंवराराम 1/4 जाति जाट की खातेदारी में दर्ज आया हुआ है। खसरा नंबर 235 रकबा 3.65 हैक्टेयर में से ग्राम खिन्दास से गेमलियावास जाने वाला रास्ता आम रास्ता आया हुआ था जो राजस्व ग्राम खिन्दास एवं गेमलियावास की सीमा में तो कटानी रास्ता दर्ज है तथा ग्राम मोगास के मात्र दो खसरे खसरा नंबर 235 व 237 के मध्य से गुजरता था तथा ग्राम मोगास के उक्त दोनो खसरों में उक्त रास्ता कटानी दर्ज नही था। खसरा नंबर 235 रकबा 3.65 हैक्टेयर में से कालूराम का 1/2 हिस्सा दक्षिण की तरफ आया हुआ है जिसके मध्य से उक्त रास्ता गुजरता था। करीब 15–20 वर्ष पूर्व कालुराम ने उक्त सार्वजनिक रास्तों को प्रार्थीया के खेत खसरा नंबर 238 की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे अपने ही खेत में डाल दिया था जिस पर प्रार्थीया को कोई आपत्ति नही थी तथा वर्तमान में रास्ते की सम्पूर्ण

लगातार पेज 2

7.1.2022 - पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
उपस्थित। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी आदेश 47(1)
CPC स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश
पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० कर सुनाया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।